

**छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर**  
आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : SM-PRO-2018-00164

रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध कृष्णा पैराडाइज  
प्रोजेक्ट- सरोना, रायपुर (छ.ग.)





आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
31/10/2018	<p>– प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>– अनावेदक स्वयं उपस्थित।</p> <p>– प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक द्वारा रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर एवं रेरा की वेबसाइट दर्शाये बगैर, सरोना, रायपुर स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का बल्क एस.एम.एस के माध्यम से विज्ञापन/क्रय हेतु ऑफर प्रसारित किया गया था।</p> <p>– इस संबंध में अनावेदक को आहूत कर स्वयं का पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अनावेदक ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जिसमें अनावेदक ने प्रमुख रूप से कथन किया है कि उनके द्वारा प्रेषित बल्क एस.एम.एस. में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर पूर्णता से दर्शित न होकर केवल RERA16 दर्शित है किन्तु प्राधिकरण की वेबसाइट दर्शित नहीं है। अनावेदक ने उल्लेख किया है हिन्दी एस.एम.एस. में शब्द सीमा सीमित होने के कारण एस.एम.एस. प्रदाता एजेंसी ने रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और प्राधिकरण की वेबसाइट का उल्लेख नहीं किया है। अनावेदक ने रेरा कानून के नये होने के कारण पूरी जानकारी न होने से उक्त त्रुटि होने का कथन किया है।</p> <p>– प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया। प्रकरण में अनावेदक द्वारा बल्क एस.एम.एस. के माध्यम से जिस प्रोजेक्ट का विज्ञापन प्रसारित किया था, वह प्रोजेक्ट पूर्व से ही रेरा में पंजीकृत है। प्रकरण की परिस्थितियों से परिलक्षित होता है</p>	



छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर  
आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : SM-PRO-2018-00164

रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध कृष्णा पैराडाइज  
प्रोजेक्ट- सरोना, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>कि अनावेदक द्वारा की गई त्रुटि सदभाविक है। अतः अनावेदक को भविष्य में किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन में रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर व छत्तीसगढ़ रेरा की वेबसाईट का अनिवार्य रूप से उल्लेख करने तथा अधिनियम के प्रावधानों का किसी भी रूप में उल्लंघन न करने की चेतावनी देते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।</p> <p>प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p> (नरेन्द्र कुमार असवाल) सदस्य भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर</p> <p> (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर</p> <p> (विवेक ढाँड) अध्यक्ष भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर</p>	